ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 98

(02 फरवरी, 2017 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बीपीएल लोग

98. श्री आर. ध्रुवनारायणः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार का गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए एक नई नीति बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान म निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या गरीबी रेखा के लिये नये मानदंड निर्धारित करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय म राज्य मंत्री

(श्री राम कृपाल यादव)

(क) और (ख) : ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए देश भर म परिवारों की रैंक निर्धारित करने के लिए अनेक सामाजिक एवं आर्थिक संकेतक तैयार करने हेतु वर्ष 2011 म संयुक्त सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) शुरू की। एसईसीसी 2011 म आवास, भूमि धारकों/भूमिहीनों, शैक्षणिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, दिव्यांगों, व्यवसाय, परिसम्पत्तियों के आधिपत्य, अ.ज./अ.ज.जा. परिवारों, आय आदि संबंधी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आकड़े दिए गए ह। ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों का चयन करने हेतु एसईसीसी 2011 के आकड़े उपयोग म ला रहा है। त्रि-स्तरीय प्रक्रिया के माध्य□ □□□त्र□ □□ की जाती है जिसम □□-□□ि□ □ि□□□ि □ि □ि□□□□ □□□□□ि□□ 13 (□□) स्□□: बहिर्वशन पैरा□□□ि, □त्□त गरीब परिवारों का निर्धारण करने के लिए 5 (□□) स्□□: अंतर्वशन पैरामीटरों और गरीब परिवारों का निर्धारण करने के लिए 7 (□□) □□□ मानदंड शामिल किए गए ह। दावे और आपत्तियों के लिए एसईसीसी आकड़ों से संबंधित लाभार्थी सूची ग्राम सभा के समक्ष रखी जाती है। इसके बाद जिलों म प्राधिकृत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त दावों और आपत्तियों पर निर्णय लिया जाता है।

(□) □□ (□) : ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी रेखा के लिए नए मानदंड निर्धारित करने हेतु किसी समिति का गठन नहीं किया है।

*****